50

संख्या– /XXVIII–5–2014–175/2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 28 फरवरी, 2014

विषयः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलाछीना, जनपद अल्मोडा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/सी.एच.सी./56/2006/34560 दिनांक 13.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलाछीना, जनपद अल्मोडा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु टी0ए0सी0, वित्त द्वारा संस्तुत आगणन ₹247.50 लाख पर शासनादेश संख्या–931/XXVIII–5–2006–175/2006 दिनांक 16.03.2007 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹120.00 लाख अवमुक्त किये गये हैं। तदोपरान्त विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से ₹50.00 लाख व ₹40.00 लाख अर्थात अब तक कुल ₹210.00 लाख अवमुक्त किये गये हैं। निर्माण इकाई द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु अब तक अवमुक्त धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि **₹31.00 लाख (रूपये इक्तीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई,उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। योजना के अवशेष कार्यों हेतु पृथक से पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
3. अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के कियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।
4. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय।
5. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2013–14 की अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएंण पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 02–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (विस्तार अंश), 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–413/XXVII(1)/2013–14 दिनांक 10 जून,2014 में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नः– अलोटमैन्ट आई0डी0 संख्या–S1402120421.

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 428 (1)/XXVIII–5–2014–175/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. कमिश्नर, कुमांऊ।
5. जिलाधिकारी, अल्मोडा।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत,जनपद अल्मोडा।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।